प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 367/2022
अनवान : –

1. रमेश कुमार पुत्र मनफूल जाति जांगिड़ निवासी भोगराना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. निराणा पुत्र हंसराम जाति जांगिड़ निवासी भोगराना तहसील नोहर।
2. मोहन पुत्र हंसराम जाति जांगिड़ निवासी भोगराना तहसील नोहर।
3. विनोद कुमार पुत्र मनफूल जाति जांगिड़ निवासी भोगराना तहसील नोहर।
4. बिरबलराम पुत्र मनफूल जाति जांगिड़ निवासी भोगराना तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री मनीराम सरावग अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांकः 16.06.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता स0 22/27 के खसरा न0 161 की कुल 14.4800है0 भूमि में से 6323/72400 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 व 6323/72400 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण ने उक्त वाद भूमि बाबत बाहमी बंटवारा किया हुआ है जिसके अनुसार प्रतिवादी स0 1 व 2 के नाम दर्ज समस्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी स0 3 व 4 ब0हि0ब0 काबिज है। प्रतिवादी स0 1 व 2 का उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा शेष नही बचा है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:56:41 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी [illegible] व 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन [illegible] की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 5 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया है।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 कैम्प कोर्ट में पेश हुई अधिवक्ता वादी ने निवेनद किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है।वादी एवं प्रतिवादीगण ने उक्त वाद भूमि बाबत बाह्मी बंटवारा किया हुआ है जिसके अनुसार प्रतिवादी स0 1 व 2 के नाम दर्ज समस्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी स0 3 व 4 ब0हि0ब0 काबिज है। प्रतिवादी स0 1 व 2 का उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा शेष नही बचा है। वादी को घरेलु जरूरतों के हिसाब से केसीसी आदि की आवश्यकता रहती है जिसके लिए अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है। इस हेतु प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट कर वाद की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल पेश किया है। अतः मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन है।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता स0 22/27 के खसरा न0 161 की कुल 14.4800है0 भूमि में से 6323/72400 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 व 6323/72400 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी स0 1 ता 4 ने जवाब इकबाल पेश किया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता स0 22/27 के खसरा न0 161 की कुल 14.4800है0 भूमि में से 6323/72400 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 व 6323/72400 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादी स0 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी, प्रतिवादी स0 3 व प्रतिवादी स0 4 तीनों को बराबर हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामज कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक...16/6/23......को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 मेरे द्वारा लिखाया सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:56:41 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–भोगराना

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**
प्रकरण संख्या – 367 / 2022
अनवान : –

1. रमेश कुमार पुत्र मनफूल जाति जांगिड़ निवासी भोगराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. निराणा पुत्र हंसराम जाति जांगिड़ निवासी भोगराना तहसील नोहर।
2. मोहन पुत्र हंसराम जाति जांगिड़ निवासी भोगराना तहसील नोहर।
3. विनोद कुमार पुत्र मनफूल जाति जांगिड़ निवासी भोगराना तहसील नोहर।
4. बिरबलराम पुत्र मनफूल जाति जांगिड़ निवासी भोगराना तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 367 सन 2022 निर्णय दिनांक 16.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा व वकील प्रतिवादी श्री मनीराम सरावग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता स0 22 / 27 के खसरा न0 161 की कुल 14.4800है0 भूमि में से 6323 / 72400 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 व 6323 / 72400 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादी स0 2 का नाम कलमजन किया जाकर वादी, प्रतिवादी स0 3 व प्रतिवादी स0 4 तीनों को बराबर हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामज कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–भोगराना

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:56:41 IST
Reason: SelfAttested